

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 20-01-2026

विषय सूची

भारत के लिए IMEC का महत्व और इसके अवरोधक बिंदु

छात्र आत्महत्याओं और उच्च शिक्षा संस्थानों के कार्यनिष्पादन पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश

यूएई के राष्ट्रपति का भारत दौरा

भारत में बाल तस्करी

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा सीमा-पार व्यापार को सुगम बनाने हेतु BRICS डिजिटल मुद्राओं के परस्पर संयोजन का प्रस्ताव प्रस्तुत

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण (PSL) पर्यवेक्षण को सुदृढ़ीकरण

संक्षिप्त समाचार

बागुरुम्बा नृत्य

कामचटका प्रायद्वीप

रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स (RNI)

सोशल कॉमर्स

भारत की प्रथम ओपन-सी समुद्री मत्त्य पालन परियोजना

पदार्थ की नई अवस्था: ठोस-तरल संकर/हाइब्रिड

पर्यावरण संरक्षण निधि

भारत के लिए IMEC का महत्व और इसके अवरोधक बिंदु

संदर्भ

- अमेरिका द्वारा अपनाई गई वर्तमान पारस्परिक टैरिफ नीतियाँ और संरक्षणवाद, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) जैसे बहु-राज्यीय, बहुआयामी परिवहन एवं व्यापार गलियारे के विकास के लिए एक बुरा संकेत है।


परिचय

- लगभग सभी भागीदार देशों के लिए, अमेरिका को छोड़कर, IMEC किसी भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का प्रतिनिधित्व नहीं करता।
 - इसके बजाय, यह वैश्विक व्यापार को भविष्य के लिए सुरक्षित करने हेतु आर्थिक बीमा के रूप में कार्य करता है, विशेषतः उस युग में जो आपूर्ति-श्रृंखला आघातों, भू-राजनीतिक विखंडन और जलवायु संकट से प्रभावित है।

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC)

- पृष्ठभूमि:** IMEC एक प्रस्तावित 4,800 किमी लंबा मार्ग है जिसे 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान घोषित किया गया।
- सदस्य:** भारत, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका।
- उद्देश्य:** एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व का एकीकरण।
- संरचना:**

India-Middle East-Europe Corridor (IMEC)



- पूर्वी गलियारा:** भारत को पश्चिम एशिया/मध्य पूर्व से जोड़ता है।
- उत्तरी गलियारा:** पश्चिम एशिया/मध्य पूर्व को यूरोप से जोड़ता है।

IMEC में शामिल बंदरगाह

- भारत:** मुंद्रा (गुजरात), कांडला (गुजरात), और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (नवी मुंबई)।
- यूरोप:** पिराएस (ग्रीस), मेसिना (दक्षिणी इटली), और मार्सिले (फ्रांस)।
- मध्य पूर्व:** फुजैरा, जेबेल अली, और अबू धाबी (यूएई), दमाम एवं रस अल खैर (सऊदी अरब)।
- इज्जराइल:** हाइफा पोर्ट।
- रेलवे लाइन:** रेलवे लाइन यूएई के फुजैरा पोर्ट को इज्जराइल के हाइफा पोर्ट से जोड़ेगी, जो सऊदी अरब (गुवैफात और हरध) और जॉर्डन से होकर गुज़रेगी।

भारत के लिए IMEC का महत्व और इसके अवरोधक बिंदु

- स्वेज नहर अवरोध (2021):** एक विशाल कंटेनर जहाज द्वारा अवरुद्ध होने से कई जहाज फंस गए। इस व्यवधान ने वैश्विक व्यापार का लगभग 12% प्रभावित किया।
- लाल सागर संकट (2023-24):** हूँथियों द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों के कारण उत्पन्न हुआ, जिससे अत्यधिक केंद्रित व्यापार मार्गों की संवेदनशीलता उजागर हुई।
 - भारत के लगभग एक चौथाई कार्गो को विलंब का सामना करना पड़ा।
 - जहाजों को केप ऑफ गुड होप के चारों ओर मोड़ना पड़ा, जिससे लगभग 3,500 नौटिकल मील की दूरी बढ़ गई, एक सप्ताह से अधिक का अतिरिक्त समय लगा और प्रति यात्रा ईंधन लागत लगभग एक मिलियन डॉलर तक बढ़ गई।
- भारत-ईर्यू व्यापार पर प्रभाव:** भारत-ईर्यू व्यापार का अधिकांश भाग लाल सागर-स्वेज नहर मार्ग पर केंद्रित है।

- 2023–24 की अंतिम तिमाही में भारतीय निर्यातकों ने शिपमेंट रोक दिए, जिससे व्यापार में गिरावट आई।
- ईयू भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जो कुल माल व्यापार का 12% से अधिक हिस्सा रखता है।
- **IMEC का उत्तर:** यह वर्तमान समुद्री मार्गों जैसे स्वेज़ नहर या रूस से होकर जाने वाले उत्तर-दक्षिण गलियारों को प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें पूरक करने के लिए बनाया गया है।
 - अतः भारत के लिए, IMEC किसी भू-राजनीतिक विवाद का प्रतीक नहीं, बल्कि व्यापार मार्गों के विविधीकरण के माध्यम से आर्थिक जोखिम प्रबंधन की एक रणनीति है।

भारत के लिए IMEC का महत्व (Significance of IMEC for India)

- **आर्थिक विकास:** एशिया, पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़कर क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
- **भारत की कनेक्टिविट और व्यापार पहुँच बढ़ाना:** भारत को यूरोप से जोड़ने वाला तीव्र, सुरक्षित मार्ग प्रदान करता है।
 - स्वेज़ नहर पर निर्भरता कम करता है, शिपिंग समय को 40% तक और लागत को 20–30% तक घटाता है।
- **रणनीतिक साझेदारी मजबूत करना:** अमेरिका, ईयू, सऊदी अरब, यूएई और इजराइल के साथ भारत के संबंध गहरे करता है।
 - “एक वेस्ट पॉलिसी” के अनुसूची: पारंपरिक और नए क्षेत्रीय साझेदारों के मध्य सहयोग को प्रोत्साहित करता है।
- **IMEC एक त्रिकोणीय आर्थिक संरचना का निर्माण करता है:** भारत को विनिर्माण एवं सेवाओं के केंद्र के रूप में; खाड़ी क्षेत्र को लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा तथा पूँजी के मंच के रूप में; और यूरोप को प्रौद्योगिकी एवं उपभोग के केंद्र के रूप में स्थापित करता है।

- **ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा:** ऊर्जा पाइपलाइन और ग्रीन हाइड्रोजन नेटवर्क को जोड़कर भारत, खाड़ी एवं यूरोप को एकीकृत करता है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग:** ऊर्जा आयात का विविधीकरण और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग।
- **पर्यावरण-अनुकूल अवसंरचना:** पर्यावरणीय रूप से सतत अवसंरचना पर बल।

चिंताएँ

- **क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों** ने अन्य साझेदारों को इस परियोजना में निवेश करने के प्रति अनिच्छुक बना दिया है।
 - मध्य पूर्व की अस्थिरता ने इस परियोजना को गंभीर आधात पहुँचाया है; परियोजना में विलंब भारत की क्षेत्रीय आकांक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
- **राजनीतिक सहमति का अभाव:** यद्यपि IMEC का समझौता 2023 के G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित हुआ था, यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है और केवल स्वैच्छिक भागीदारी पर आधारित है।
 - सदस्यों की भिन्न प्राथमिकताएँ समन्वय और क्रियान्वयन को धीमा करती हैं।
- **आर्थिक एवं वित्तीय व्यवहार्यता:** अनुमानित परियोजना लागत अत्यधिक है, जिसमें बंदरगाहों, रेलमार्गों, पाइपलाइनों और बहु-क्षेत्रीय डिजिटल अवसंरचना का समावेश है।
 - वित्तपोषण तंत्र को लेकर अस्पष्टता बनी हुई है कि यह बहुपक्षीय होगा, सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर आधारित होगा या राज्य-निधिकृत।
- **अवसंरचना की कमी एवं तकनीकी चुनौतियाँ:** पश्चिम एशियाई देशों में विशेषकर सीमा-पार रेलवे संपर्क में महत्वपूर्ण अवसंरचना घाटे हैं।
 - विभिन्न रेलवे गेज, मानकों और सीमा शुल्क प्रक्रियाओं का एकीकरण अब तक अनसुलझा है।

आगे की राह

- IMEC उन क्षेत्रों में फैला है जहाँ वित्तीय क्षमता और क्रेडिट प्रोफ़ाइल असमान हैं। पारंपरिक सार्वजनिक वित्तपोषण या केवल सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर्याप्त नहीं होगी।
- IMEC को एक पोर्टफोलियो दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें सार्वजनिक निवेश, बहुपक्षीय गारंटी, संप्रभु संपत्ति कोष और निजी निवेश शामिल हों, ताकि पूंजी लागत कम हो एवं दीर्घकालिक संस्थागत निवेश आकर्षित किया जा सके।

Source: ORF

छात्र आत्महत्याओं और उच्च शिक्षा संस्थानों के कार्यनिष्पादन पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश

समाचार में

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने छात्र आत्महत्याओं और उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) के कार्यनिष्पादन के संबंध में अनुच्छेद 142 के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142

- यह सर्वोच्च न्यायालय को एक विशिष्ट और असाधारण शक्ति प्रदान करता है, जिससे वह उन मामलों में “पूर्ण न्याय” सुनिश्चित कर सके जहाँ वर्तमान विधि या अधिनियम पर्याप्त उपाय प्रदान नहीं करते।
- अनुच्छेद 142(1) के अनुसार, न्यायालय किसी भी लंबित मामले में पूर्ण न्याय करने हेतु आवश्यक कोई भी डिक्री पारित कर सकता है या आदेश जारी कर सकता है, और ऐसे आदेश पूरे भारत में लागू होंगे, चाहे संसद द्वारा बनाए गए विधि के अनुसार हों या, जब तक ऐसी विधि अस्तित्व में न हो, राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित हों।
- इसका मूल उद्देश्य यह है कि सर्वोच्च न्यायालय अवैधता या अन्याय की घटनाओं का समाधान कर सके और प्रत्येक मामले के तथ्यों के अनुरूप न्यायसंगत एवं समान परिणाम प्रदान कर सके।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उजागर प्रमुख मुद्दे

- उच्च शिक्षा का तीव्र विस्तार और निजीकरण:** भारत अब छात्र नामांकन में वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर है, जिसके परिणामस्वरूप छात्र तनाव, मृत्यु, दीर्घकालिक संकाय रिक्तियाँ एवं शोषण जैसी समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं।
- छात्र मानसिक स्वास्थ्य:** सर्वोच्च न्यायालय ने छात्र आत्महत्याओं की महामारी का उल्लेख किया, जिसके कारणों में कठोर उपस्थिति नीतियाँ, अत्यधिक पाठ्यक्रम भार, परीक्षा दबाव, संकाय की कमी, अतिथि संकाय पर निर्भरता और अपारदर्शी प्लेसमेंट प्रक्रियाएँ शामिल हैं।
 - चिकित्सा और अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) के छात्र अत्यधिक कार्यभार और शोषणकारी शैक्षणिक संस्कृति का सामना कर रहे हैं।
- अपर्याप्त संकाय शक्ति:** सार्वजनिक HEIs, जैसे मद्रास विश्वविद्यालय, गंभीर स्टाफिंग संकट का सामना कर रहे हैं, जहाँ संकाय शक्ति केवल स्वीकृत पदों का 50% है।
- वित्तीय तनाव:** छात्रवृत्तियों के वितरण में विलंब वित्तीय दबाव का एक प्रमुख स्रोत बनकर उभरा है।
- राजनीतिक पुरुण्ठन:** शोध और शिक्षण की गुणवत्ता में गिरावट आई है, और कुलपतियों की नियुक्तियाँ राज्यपाल की शक्तियों को लेकर अस्पष्टता के कारण रुकी हुई हैं।
 - रिक्तियों को भरने के लिए UGC प्रक्रियाएँ, योग्य संकाय और बजटीय समर्थन आवश्यक हैं, जबकि भ्रष्टाचार एवं राजनीतिक नियुक्तियों ने गुणवत्ता को प्रभावित किया है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश

- संकाय और प्रशासनिक रिक्तियाँ:** सभी रिक्त शिक्षण पदों को चार माह के अंदर भरा जाना चाहिए; कुलपति और रजिस्ट्रार की नियुक्ति एक माह के अंदर की जानी चाहिए।
- छात्रवृत्तियाँ:** लंबित छात्रवृत्ति वितरण को चार माह के अंदर पूरा किया जाना चाहिए, और भविष्य के वितरण स्पष्ट समय-सीमा के अनुसार होने चाहिए।

- **स्वास्थ्य सेवा उपलब्धता:** आवासीय HEIs को 24x7 योग्य चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करनी होगी, चाहे परिसर में या 1 किमी के अंदर।
- **डेटा और रिपोर्टिंग:** HEIs को सभी छात्र आत्महत्याओं या अप्राकृतिक मृत्यु की सूचना, चाहे परिसर में हो या बाहर, पुलिस को देनी होगी।
 - नमूना पंजीकरण प्रणाली और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को छात्र आत्महत्याओं का डेटा उच्च शिक्षा स्तर के अनुसार संधारित एवं पृथक करना होगा।
- **संस्थागत जवाबदेही:** HEIs सुरक्षित, न्यायसंगत, समावेशी और अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- **क्रियान्वयन:** केंद्र और राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना होगा कि सभी निर्देश शीघ्रता से संप्रेषित और लागू किए जाएँ।
 - न्यायालय ने बल दिया कि उच्च शिक्षा में मात्रात्मक वृद्धि को संस्थागत समर्थन और छात्र कल्याण उपायों के साथ संतुलित किया जाना चाहिए, ताकि निरंतर हो रहे तनाव को रोका जा सके।

Source :TH

यूएई के राष्ट्रपति का भारत दौरा

संदर्भ

- संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन ज्यायेद अल नहयान ने भारत की आधिकारिक यात्रा की।

मुख्य परिणाम

- **रक्षा:** भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सामरिक रक्षा साझेदारी पर आशय पत्र (Letter of Intent) पर हस्ताक्षर।
- **ऊर्जा:** भारत ने संयुक्त अरब अमीरात से तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) खरीदने हेतु 3 अरब अमेरिकी डॉलर का समझौता किया, जिससे भारत UAE का शीर्ष ग्राहक बन गया।

- **द्विपक्षीय व्यापार:** दोनों पक्षों ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 200 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक करने पर सहमति व्यक्त की।
- **परमाणु सहयोग:** उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकियों में साझेदारी विकसित करने पर सहमति, जिसमें बड़े परमाणु रिएक्टरों और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMRs) का विकास एवं परियोजन, उन्नत रिएक्टर प्रणालियों, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के संचालन एवं रखरखाव में सहयोग शामिल है।
- **निवेश:** गुजरात, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र के विकास हेतु निवेश सहयोग पर आशय पत्र।
- **भारत में सुपरकंप्यूटिंग क्लस्टर की स्थापना:** सिद्धांततः सहमति बनी कि भारत का सी-डैक (C-DAC) और UAE की जी-42 कंपनी मिलकर भारत में सुपरकंप्यूटिंग क्लस्टर स्थापित करेंगे।
- **अंतरिक्ष:** भारत के भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) और UAE की अंतरिक्ष एजेंसी के बीच अंतरिक्ष उद्योग विकास एवं वाणिज्यिक सहयोग को सक्षम बनाने हेतु संयुक्त पहल पर आशय पत्र।

यात्रा का महत्व

- **सामरिक एवं भू-राजनीतिक महत्व:** यह यात्रा यमन को लेकर UAE और सऊदी अरब के बीच बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि में हुई। यह भारत की भारतीय महासागर क्षेत्र (IOR) में शुद्ध सुरक्षा प्रदाता की भूमिका के प्रति UAE के समर्थन का संकेत है।
- **आर्थिक एवं व्यापारिक सहयोग:** व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) के आस-पास गति प्रदान करता है। UAE भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों और प्रमुख निवेशकों में से एक है।
- **क्षेत्रीय सुरक्षा पुनर्संरेखण:** सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की को सम्मिलित कर नए “इस्लामिक नाटो” की धारणा UAE के लिए चिंता का विषय है। इससे UAE भारत में स्वतंत्र सुरक्षा साझेदार खोजने की ओर अग्रसर हुआ है।

- ईरान से संबंधित चिंताएँ:** UAE ईरान से जुड़े तनाव को बढ़ने से रोकने में विशेष रुचि रखता है, क्योंकि कोई भी सैन्य टकराव पूरे खाड़ी क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है। भारत की संतुलित कूटनीति और क्षेत्रीय हितधारकों के साथ सद्व्यवहार को स्थिरता प्रदान करने वाला कारक माना जाता है।
- शांति बोर्ड हेतु आमंत्रण:** अमेरिका ने भारत को “बोर्ड ऑफ पीस” में शामिल होने का आमंत्रण दिया है, जो गाज़ा में शांति और पुनर्निर्माण की देखरेख हेतु गठित निकाय है। UAE इसका हिस्सा है, किंतु भारत ने आमंत्रण स्वीकार नहीं किया है। कई लोग इस यात्रा को भारत को शामिल करने हेतु प्रेरित करने का प्रयास मानते हैं।
- जन-केंद्रित संबंध:** UAE में 35 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं, जिससे श्रम गतिशीलता, कौशल आदान-प्रदान और सांस्कृतिक संबंधों पर बल दिया गया है।

भारत और UAE के बीच द्विपक्षीय संबंध

- राजनीतिक:** भारत और UAE ने 1972 में राजनयिक संबंध स्थापित किए। 2017 में संबंधों को व्यापक सामरिक साझेदारी (CSP) में उन्नत किया गया।
- आर्थिक एवं वाणिज्यिक:** CEPA 2022 में हस्ताक्षरित हुआ। इसके बाद द्विपक्षीय माल व्यापार FY 2020-21 के 43.3 अरब अमेरिकी डॉलर से FY 2023-24 में 83.7 अरब अमेरिकी डॉलर तक लगभग दोगुना हो गया।
- UAE भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है (अमेरिका के बाद), जहाँ 2022-23 में लगभग 31.61 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात हुआ।
- द्विपक्षीय व्यापार 97 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक होने की संभावना है, और गैर-तेल व्यापार में 100 अरब अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य रखा गया है।
- रक्षा सहयोग:** रक्षा सहयोग समझौते (2003) के बाद, जिसे 2004 में लागू किया गया, रक्षा मंत्रालय स्तर पर संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (JDCC) के माध्यम से संचालित होता है।

- प्रत्यर्पण और पारस्परिक कानूनी सहायता संधियाँ** अंतरराष्ट्रीय अपराध से निपटने हेतु।
- अंतरिक्ष सहयोग:** भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और UAE अंतरिक्ष एजेंसी ने 2016 में शांतिपूर्ण उद्देश्यों हेतु बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण एवं उपयोग में सहयोग पर समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
- भारतीय समुदाय:** लगभग 35 लाख भारतीय प्रवासी समुदाय UAE में सबसे बड़ा जातीय समुदाय है, जो देश की जनसंख्या का लगभग 35% है।
- बहुपक्षीय सहयोग:** भारत और UAE कई बहुपक्षीय मंचों का हिस्सा हैं, जैसे भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC), I2U2 (भारत-इज़राइल-UAE-अमेरिका) और UFI (UAE-फ्रांस-भारत) त्रिपक्षीय।

चुनौतियाँ

- व्यापार असंतुलन:** भारत का UAE के साथ व्यापार घाटा है, मुख्यतः तेल आयात के कारण, जिससे आर्थिक संबंध असमान हो जाते हैं, भले ही गैर-तेल व्यापार बढ़ रहा हो।
- क्षेत्रीय भू-राजनीतिक तनाव:** मध्य पूर्व और खाड़ी क्षेत्र की राजनीतिक अस्थिरता द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करती है, विशेषकर भारत के सामरिक हितों को।
- श्रम और प्रवासन मुद्दे:** भारत UAE में प्रवासी श्रमिकों का सबसे बड़ा स्रोत है, और भारतीय श्रमिकों के कल्याण एवं अधिकारों से संबंधित मुद्दे चिंता का विषय रहे हैं।
- UAE की विदेश नीति:** ईरान और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ भारत के संबंध कभी-कभी UAE के साथ संबंधों को जटिल बना देते हैं, क्योंकि UAE क्षेत्र में अलग सामरिक प्राथमिकताएँ रखता है।

आगे की राह

- यह यात्रा व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन-सेना संबंधों को सुदृढ़ करने का उद्देश्य रखती है।
- दोनों देश रक्षा संबंधों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिसमें प्रशिक्षण आदान-प्रदान और रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग शामिल है।

- UAE में बड़े भारतीय प्रवासी समुदाय के माध्यम से संबंध सुदृढ़ होंगे, जिससे सांस्कृतिक आदान-प्रदान और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहन मिलेगा।

Source: MEA

“भारत में बाल तस्करी

संदर्भ

- बाल तस्करी भारत में एक गंभीर मानवाधिकार चुनौती बनी हुई है, यद्यपि एक सुदृढ़ संवैधानिक ढाँचा और अनेक वैधानिक संरक्षण उपस्थित है।

बाल तस्करी क्या है?

- पालेमर्म प्रोटोकॉल (संयुक्त राष्ट्र प्रोटोकॉल, 2000)** बाल तस्करी को परिभाषित करता है: “किसी बच्चे की भर्ती, परिवहन, स्थानांतरण, आश्रय या प्राप्ति, शोषण के उद्देश्य से।”
- भारतीय दंड संहिता (भारतीय न्याय संहिता - BNS), 2023 की धारा 143** तस्करी को परिभाषित करती है: “शोषण के लिए व्यक्तियों की भर्ती, परिवहन, आश्रय, स्थानांतरण या प्राप्ति।”
 - साधन:** धमकी, बल, दबाव, अपहरण, धोखाधड़ी, छल, शक्ति का दुरुपयोग या प्रलोभन।
 - शोषण का दायरा:** शारीरिक और यौन शोषण, दासता, बंधुआ मजदूरी, अंगों का जबरन निष्कासन।
 - परिभाषा में सहमति की स्थिति अप्रासंगिक है।

बाल तस्करी के कारण

- निर्धनता:** निर्धन परिवार झूठे वादों और बेहतर अवसरों के लालच में तस्करों के शिकार बनते हैं।
- जागरूकता का अभाव:** ग्रामीण क्षेत्रों में कम साक्षरता और सीमित जानकारी लोगों को धोखे एवं शोषण के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है।
- प्रवासन:** असंगठित घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रवासन तस्करों को ऐसे व्यक्तियों को निशाना बनाने का अवसर देता है जो अपने सामाजिक नेटवर्क से कटे होते हैं।
- कानून प्रवर्तन की कमी और भ्रष्टाचार:** पुलिस प्रशिक्षण की कमी और भ्रष्टाचार तस्करी से निपटने की चुनौतियों को और बढ़ाते हैं।

भारत में संवैधानिक संरक्षण

- अनुच्छेद 21:** जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है।
- अनुच्छेद 23:** मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध।
- अनुच्छेद 24:** 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में रोजगार देने पर प्रतिबंध।
- अनुच्छेद 39(e):** राज्य को सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रमिकों और बच्चों का स्वास्थ्य और बल का दुरुपयोग न हो।
- अनुच्छेद 39(f):** बच्चों को स्वतंत्रता, गरिमा और नैतिक व भौतिक परित्याग से सुरक्षा के साथ विकास के अवसर प्रदान करना।

बाल तस्करी के विरुद्ध न्यायिक हस्तक्षेप

- विशाल जीत बनाम भारत संघ, 1990:** न्यायालय ने कहा कि तस्करी और बाल वेश्यावृत्ति गंभीर सामाजिक-आर्थिक समस्याएँ हैं, जिनसे निपटने हेतु मानवीय एवं निवारक दृष्टिकोण आवश्यक है।
- एम. सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य, 1996:** न्यायालय ने बच्चों को खतरनाक उद्योगों में रोजगार से रोकने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए।
- बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ, 2011:** सर्वोच्च न्यायालय ने बाल तस्करी और शोषण को रोकने हेतु निर्देश दिए।
- के. पी. किरण कुमार बनाम राज्य:** न्यायालय ने कठोर दिशा-निर्देश दिए और कहा कि तस्करी बच्चों के जीवन के मौलिक अधिकार का गंभीर उल्लंघन है।

तस्करी-रोधी अपराधों को नियंत्रित करने वाले कानून

- अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956:** अनैतिक तस्करी और वेश्यावृत्ति रोकने हेतु बनाया गया। इसमें 1978 और 1986 में संशोधन हुए।
- बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986:** बच्चों को कुछ रोजगारों से रोकता है और अन्य क्षेत्रों में कार्य की शर्तों को नियंत्रित करता है।

- बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976: बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है और मुक्त श्रमिकों के पुनर्वास का प्रावधान करता है।
- किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015: कानून से संघर्षरत बच्चों से संबंधित प्रावधान करता है।
- बाल यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012: बच्चों के वाणिज्यिक यौन शोषण को रोकने हेतु बनाया गया।

आगे की राह

- ऑनलाइन भर्ती रोकने हेतु डिजिटल निगरानी और जागरूकता बढ़ाना।
- जाँच और अभियोजन की गुणवत्ता सुधारकर दोषसिद्धि दर बढ़ाना।
- पीडित-केंद्रित पुनर्वास सुनिश्चित करना, जिसमें मनोवैज्ञानिक देखभाल, शिक्षा और आजीविका समर्थन शामिल हो।
- केंद्र-राज्य समन्वय को गहरा करना, संयुक्त टास्क फोर्स, साझा डेटाबेस और क्षमता निर्माण के माध्यम से।

Source: TH

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा सीमा-पार व्यापार को सुगम बनाने हेतु BRICS डिजिटल मुद्राओं के परस्पर संयोजन का प्रस्ताव प्रस्तुत

संदर्भ

- हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अनुशंसा की है कि BRICS केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं (CBDCs) के परस्पर संयोजन को 2026 BRICS शिखर सम्मेलन के एंजेंडा में शामिल किया जाए, ताकि सीमा-पार व्यापार, पर्यटन और भुगतान निपटान को सरल बनाया जा सके। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत इस वर्ष के अंत में करेगा।

पृष्ठभूमि: BRICS राष्ट्रों में CBDCs का संयोजन

- रियो डी जेनेरियो BRICS घोषणा (2025): इसमें सदस्य राष्ट्रों की भुगतान प्रणालियों के बीच

- अंतःक्रियाशीलता पर बल दिया गया।
- भारत लंबे समय से डिजिटल रूपया (₹) के माध्यम से डिजिटल भुगतान एकीकरण का समर्थन करता रहा है, जिसे ऑफलाइन लेन-देन, प्रोग्रामेबल भुगतान और फिनटेक वॉलेट एकीकरण में पहले ही परखा जा चुका है।

प्रस्तावित BRICS CBDC संयोजन के उद्देश्य

- सीमा-पार भुगतान को सुगम बनाना:** व्यापार, पर्यटन और निवेश हेतु सदस्य राष्ट्रों के बीच त्वरित एवं कम लागत वाले लेन-देन को सक्षम करना।
- डॉलर पर निर्भरता कम करना:** एक वैकल्पिक निपटान तंत्र प्रदान करना जो अमेरिकी डॉलर-प्रधान वैश्विक प्रणाली को दरकिनार कर सके।
- वित्तीय संप्रभुता को सुदृढ़ करना:** प्रत्येक सदस्य के मौद्रिक नीति और सीमा-पार वित्तीय प्रवाह पर नियंत्रण को बढ़ाना।
- प्रौद्योगिकीय सहयोग को बढ़ावा देना:** साझा डिजिटल अवसंरचना का निर्माण और CBDC अंतःक्रियाशीलता हेतु वैश्विक मानक स्थापित करना।
- यह एक डिजिटल रूप से जुड़ा हुआ पारिस्थितिकी तंत्र परिकल्पित करता है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के केंद्रीय बैंक, साथ ही नए BRICS सदस्य जैसे ईरान, संयुक्त अरब अमीरात एवं इंडोनेशिया, अपनी-अपनी CBDCs के माध्यम से व्यापार तथा पर्यटन भुगतान का सहज निपटान कर सकेंगे।

- यदि इसे स्वीकृति मिलती है, तो यह BRICS सदस्यों के बीच डिजिटल मुद्राओं को परस्पर जोड़ने का प्रथम औपचारिक प्रस्ताव होगा, जो वित्तीय सहयोग के एक नए युग का संकेत देगा।

तकनीकी ढाँचा और क्रियान्वयन की चुनौतियाँ

- अंतःक्रियाशीलता मानक:** यह सुनिश्चित करना कि विभिन्न CBDC प्रणालियाँ सहजता से संवाद कर सकें।
- शासन और विनियमन:** पर्यवेक्षण तंत्र और डेटा-साझाकरण प्रोटोकॉल को परिभाषित करना।

- व्यापार निपटान असंतुलन: असमान व्यापार प्रवाह का प्रबंधन, संभवतः द्विपक्षीय विदेशी मुद्रा स्वैप के माध्यम से।
- साइबर सुरक्षा और गोपनीयता: अनेक राष्ट्रीय अधिकारक्षेत्रों में लेन-देन की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
 - प्रौद्योगिकीय संप्रभुता संबंधी चिंताएँ: कुछ राष्ट्र दूसरों द्वारा डिज़ाइन किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म अपनाने में संकोच कर सकते हैं।

केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDCs)

- यह एक डिजिटल रूप से जारी वैध मुद्रा है, जिसका मूल्य नकद और पारंपरिक बैंक जमा के बराबर होता है।
 - यह केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में अस्तित्व रखती है और सीधे किसी राष्ट्र के केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित होती है।
- CBDCs का उद्देश्य भुगतान दक्षता, वित्तीय समावेशन और मौद्रिक नियंत्रण को सुधारना है, जो क्रिप्टोकरेंसी से भिन्न है।

CBDCs के प्रकार

- रिटेल CBDCs: आम जनता के उपयोग हेतु, जिससे व्यक्ति और व्यवसाय दैनिक लेन-देन कर सकें।
 - उदाहरण: भारत का डिजिटल रूपया (e₹), चीन का डिजिटल युआन (e-CNY)।
- ब्लॉकचेन CBDCs: वित्तीय संस्थानों द्वारा अंतरबैंक निपटान, सीमा-पार भुगतान और उच्च-मूल्य लेन-देन हेतु प्रयुक्त।
 - उदाहरण: बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) की परियोजनाएँ और सिंगापुर का प्रोजेक्ट उबिन।

CBDCs में वैश्विक विकास

- लगभग 130 देश, जो वैश्विक GDP के 98% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसी न किसी रूप में CBDCs का अन्वेषण कर रहे हैं।
- मुख्य उदाहरण:
 - यूरोपीय संघ: डिजिटल यूरो विकसित किया जा रहा है ताकि यूरोज़ोन में भुगतान संप्रभुता सुनिश्चित हो सके।
 - बहामास: सैंड डॉलर विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से लॉन्च किया गया CBDC था।
 - नाइजीरिया: eNaira का उद्देश्य घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करना है।

BRICS राष्ट्रों में डिजिटल मुद्राओं की स्थिति

- अब तक किसी भी BRICS सदस्य ने अपनी CBDC को पूर्ण रूप से लॉन्च नहीं किया है, लेकिन सभी पायलट परियोजनाएँ चला रहे हैं:
 - चीन: डिजिटल युआन प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे उन्नत है, जिसे शहरों में रिटेल और सार्वजनिक उपयोग हेतु परखा गया है।
 - भारत: डिजिटल रूपया (e₹) ने ब्लॉकचेन और रिटेल दोनों लेन-देन हेतु पायलट चरण में प्रवेश किया है।
 - ब्राजील, रूस और दक्षिण अफ्रीका: अपनी-अपनी CBDCs के लिए पायलट कार्यक्रम चला रहे हैं।

CBDCs बनाम स्टेबलकॉइन्स: भारत की स्थिति

- भारत e-रूपये को एक सुरक्षित विकल्प के रूप में बढ़ावा देता रहा है, जबकि स्टेबलकॉइन्स के उदय के बीच वैश्विक उत्साह कुछ कम हुआ है।
- हाल ही में RBI ने चेतावनी दी है कि स्टेबलकॉइन्स ‘मौद्रिक स्थिरता, राजकोषीय नीति और प्रणालीगत लचीलापन के लिए गंभीर चिंताएँ उत्पन्न करते हैं’, तथा यह बल दिया कि CBDCs राज्य-समर्थित, विनियमित एवं अधिक पारदर्शी हैं।

पूर्व मुद्रा सहयोग प्रयासों से सीख

- BRICS देशों द्वारा स्थानीय मुद्राओं में व्यापार निपटान के पूर्व प्रयास, विशेषकर भारत और रूस के बीच, बाधाओं से ग्रस्त रहे।
- रूस द्वारा अधिशेष रूपये का संचय, जिनका सीमित उपयोग था, ने RBI को नियामकीय समायोजन करने पर प्रेरित किया, जिससे रूपये की शेष राशि को भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की अनुमति दी गई।
- CBDC ढाँचे में नियमित (साप्ताहिक या मासिक) निपटान स्वैप व्यवस्थाओं के माध्यम से शामिल हो सकता है, जिससे प्रतिभागियों के बीच तरलता संतुलन सुनिश्चित हो और ऐसी समस्याओं से बचा जा सके।

आगे की राह: एक लंबी यात्रा

- यद्यपि अभी यह अवधारणात्मक चरण में है, BRICS CBDC संयोजन उभरते बाजारों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने के तरीकों को पुनर्परिभाषित कर सकता है। यदि सफलतापूर्वक लागू किया गया, तो यह:
 - लेन-देन दक्षता को बढ़ाएगा;
 - मुद्रा विविधीकरण को समर्थन देगा;
 - क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को सुदृढ़ करेगा;
- हालाँकि, इसकी सफलता राजनीतिक इच्छाशक्ति, तकनीकी सहयोग और विविध अर्थव्यवस्थाओं के बीच नियामकीय सामंजस्य पर निर्भर करेगी।

Source: TH

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण (PSL) पर्यवेक्षण को सुदृढ़ीकरण

समाचारों में

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने प्राथमिक क्षेत्र ऋण (PSL) – लक्ष्य और वर्गीकरण निर्देश, 2025 में व्यापक संशोधनों का एक सेट जारी किया है।

प्राथमिक क्षेत्र ऋण के बारे में

- यह RBI द्वारा अनिवार्य की गई एक नीति है, जिसके अंतर्गत बैंकों को अपने ऋण का एक हिस्सा कृषि,

शिक्षा, आवास और लघु उद्योग जैसे प्रमुख विकास क्षेत्रों की ओर निर्देशित करना होता है, ताकि राष्ट्रीय विकास को समर्थन मिल सके।

- नवीनतम संशोधन नवीकरणीय ऊर्जा, सामाजिक अवसंरचना, शिक्षा और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) जैसे प्रमुख क्षेत्रों में क्रण प्रवाह को बढ़ाता है तथा कमज़ोर वर्गों के लिए समर्थन को सुदृढ़ करता है।

PSL निर्देश, 2025 की प्रमुख विशेषताएँ

- उन्नत अनुपालन ढाँचा:** बैंकों को बाहरी लेखा परीक्षक प्रमाणन (या NCDC जैसी संस्थाओं के लिए CAG-पैनल में शामिल लेखा परीक्षकों) को सुरक्षित करना होगा, ताकि PSL दावों का सत्यापन किया जा सके और मूल बैंक तथा NBFCs या सहकारी समितियों जैसे मध्यस्थों के बीच जोखिमों की दोहरी गणना को रोका जा सके।
- लघु वित्त बैंकों के लिए संशोधित लक्ष्य:** लघु वित्त बैंकों (SFBs) के लिए PSL आवश्यकता को 75% से घटाकर 60% समायोजित शुद्ध बैंक क्रण (ANBC) कर दिया गया है, जो समावेशन लक्ष्यों और वित्तीय स्थिरता के बीच संतुलन हेतु एक सुविचारित नियामक दृष्टिकोण को दर्शाता है।
- ग्रामीण क्रण हेतु NCDC का समावेश:** बैंकों द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) को सहकारी समितियों को पुनः क्रण देने के लिए दिए गए क्रण अब औपचारिक रूप से प्राथमिक क्षेत्र क्रण के रूप में मान्यता प्राप्त करेंगे, जिससे सहकारी-आधारित ग्रामीण और कृषि क्रण को सुदृढ़ किया जाएगा।
- सह-क्रण की लचीलापन:** बैंकों को अन्य वित्तीय मध्यस्थों के साथ सह-क्रण व्यवस्था में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है, ताकि PSL लक्ष्यों को पूरा किया जा सके, जिससे जोखिम साझा करने और अंतिम स्तर तक क्रण वितरण में सुधार को बढ़ावा मिलेगा।
- निर्यात क्रण को PSL के रूप में मान्यता:** कृषि और MSMEs को प्रदान किया गया निर्यात क्रण PSL के रूप में माना जा सकता है, जिससे प्राथमिक क्षेत्र नीति

को निर्यात संवर्धन एवं रोजगार सृजन उद्देश्यों के साथ संरचित किया जा सके।

Source : FE

संक्षिप्त समाचार

बागुरुम्बा नृत्य

संदर्भ

- प्रधानमंत्री ने असम का दौरा किया और बागुरुम्बा ध्वौ 2026 में भाग लिया।

परिचय

- बागुरुम्बा, जिसे प्रायः “तितली नृत्य” कहा जाता है, असम के सबसे महत्वपूर्ण और मनोहर लोकनृत्यों में से एक है।
 - यह बोडो समुदाय का सामूहिक लोकनृत्य है।
- परंपरागत रूप से इसे युवतियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। यह नृत्य प्रकृति के साथ सामंजस्य का प्रतीक है और उर्वरता, शांति तथा आनंद के विषयों का उत्सव मनाता है।
 - हाथों की लयबद्ध गतियाँ और कोमल पदचालन तितलियों की उड़ान का प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं, जो समुदाय के प्रकृति के साथ गहरे संबंध को दर्शाता है।
- यह नृत्य ब्विसागु उत्सव से निकटता से जुड़ा है, जो बोडो नववर्ष और वसंतऋतु के आगमन का प्रतीक है।
- इसके संगीत में बाँसुरी जैसी सिफुंग, लयबद्ध खाम ढोल और गूंजती हुई सेरजा का प्रयोग होता है, जो प्रस्तुति में गहराई एवं भावनाएँ जोड़ते हैं।

स्रोत: TH

कामचटका प्रायद्वीप

समाचारों में

- रूस के सुदूर पूर्व में स्थित कामचटका प्रायद्वीप में भीषण शीतकालीन तूफान ने जनजीवन को अवरोधित कर दिया है, भारी हिमपात ने सड़कों और घरों को ढक दिया है।

परिचय

- कामचटका रूस के फ़ार ईस्टर्न फ़ेडरल डिस्ट्रिक्ट का भाग है और कामचटका क्राय का गठन करता है, जिसकी जनसंख्या लगभग 3,22,000 है।
- यह 1,250 किमी लंबा प्रायद्वीप है, जो पश्चिम में ओखोट्स्क सागर, पूर्व में बेरिंग सागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है।
- इसमें स्वेदिनी (मध्य) और वोस्तोन्यी (पूर्वी) पर्वत शृंखलाएँ हैं, जिनमें यूनेस्को सूचीबद्ध कामचटका के ज्वालामुखी के अंतर्गत 29 सक्रिय ज्वालामुखी शामिल हैं।
- कामचटका नदी एक केंद्रीय घाटी से होकर प्रवाहित होती है।



स्रोत: TH

रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स (RNI)

समाचारों में

- भारत ने हाल ही में रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स (RNI) प्रस्तुत किया है।

परिचय

- रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स (RNI) एक वैश्विक मानक ढाँचा है, जो राष्ट्रीय प्रदर्शन का आकलन करते समय केवल आर्थिक शक्ति पर नहीं, बल्कि नैतिक शासन, सतत विकास और वैश्विक जिम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित करता है।
- यह सूचकांक देशों का मूल्यांकन चार प्रमुख आयामों पर करता है: नैतिक शासन, सामाजिक कल्याण, पर्यावरणीय संरक्षण और वैश्विक जिम्मेदारी।

- इसे विश्व बौद्धिक फाउंडेशन (WIF) ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) और भारतीय प्रबंधन संस्थान मुंबई के सहयोग से विकसित किया है।
- सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क सूची में शीर्ष पर रहे, जबकि भारत वैश्विक स्तर पर 16वें स्थान पर है।

स्रोत: PIB

सोशल कॉर्मस

संदर्भ

- भारत में, प्रबल संभावनाओं के बावजूद, सोशल कॉर्मस कुल ई-कॉर्मस राजस्व का केवल 1–2% योगदान करता है, जबकि चीन में यह 30–40% और इंडोनेशिया में 20–25% है।

सोशल कॉर्मस क्या है?

- सोशल कॉर्मस का अर्थ है वस्तुओं की खरीद-बिक्री सीधे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से करना।
 - उपभोक्ता सोशल मीडिया ब्राउज़ करते समय उत्पाद खोजते हैं और पारंपरिक ई-कॉर्मस प्लेटफॉर्म पर जाए बिना खरीद पूरी कर लेते हैं।
- यह सामाजिक सहभागिता (इन्फ्लुएंसर, लाइव वीडियो, सामुदायिक समूह) को ऑनलाइन खरीदारी के साथ जोड़ता है।
 - इन्फ्लुएंसर-आधारित बिक्री:** उत्पाद उन निर्माताओं द्वारा प्रचारित किए जाते हैं जिन पर उपभोक्ता विश्वास करते हैं।
 - लाइव-स्ट्रीम शॉपिंग:** विक्रेता वास्तविक समय में उत्पाद प्रदर्शित करते हैं और खरीदारों से संवाद करते हैं।
 - सामुदायिक-आधारित बिक्री:** उत्पाद व्हाट्सएप समूहों, फेसबुक पेजों या क्षेत्रीय सोशल नेटवर्क्स के माध्यम से बेचे जाते हैं।

ई-कॉर्मस और सोशल कॉर्मस में अंतर

- पारंपरिक ई-कॉर्मस खोज-आधारित और प्लेटफॉर्म-केंद्रित है, जबकि सोशल कॉर्मस खोज-आधारित नहीं बल्कि विश्वास-केंद्रित है।

- ई-कॉर्मस में योजनाबद्ध खरीदारी होती है, जबकि सोशल कॉर्मस आकस्मिक खरीद को प्रोत्साहित करता है।

भारत में विकास में बाधाएँ

- भारत के इन्फ्लुएंसर पारिस्थितिकी तंत्र में कमज़ोर प्रामाणिकता जाँच, जबकि चीन में सख्त विश्वसनीयता मानक हैं, उपभोक्ता विश्वास को कमज़ोर करते हैं।
- नकद-ऑन-डिलीवरी पर उच्च निर्भरता प्लेटफॉर्म की वित्तीय स्थिति पर दबाव डालती है।
- कमज़ोर लॉजिस्टिक्स और डिजिटल अवसंरचना पैमाने एवं गति को सीमित करती है।
- खंडित खुदरा बाज़ार और कम ऑर्डर मूल्य लाभप्रदता को घटाते हैं।

स्रोत: LM

भारत की प्रथम ओपन-सी समुद्री मत्स्य पालन परियोजना

- संदर्भ भारत की प्रथम ओपन-सी समुद्री मत्स्य पालन परियोजना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नॉर्थ बे में प्रारंभ की गई।

परिचय

- उद्देश्य:** मुख्य लक्ष्य खुले समुद्र में पालन हेतु एक व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य मॉडल की ओर संक्रमण करना, पारंपरिक तटीय मत्स्य पालन पर दबाव कम करना तथा स्थानीय मछुआरा समुदायों के लिए सतत आजीविका उत्पन्न करना है।
- लक्षित प्रजातियाँ:** इस पहल का ध्यान उच्च-मूल्य वाली समुद्री फिनफिश प्रजातियों जैसे कोबिया (राचिसेंट्रोन कैनाडम) और सीबास (लेटस कैलकरीफर) के संवर्धन पर है, साथ ही गहरे पानी में समुद्री शैवाल की प्रायोगिक खेती भी की जाएगी।
- क्रियान्वयन एजेंसियाँ:** यह परियोजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT) और अंडमान एवं निकोबार द्वीप प्रशासन के सहयोग से संचालित है।

- प्रौद्योगिकी:** परियोजना में NIOT द्वारा विकसित उन्नत, स्वदेशी खुले समुद्र के पिंजरों का उपयोग किया गया है, जिन्हें प्राकृतिक महासागरीय परिस्थितियों का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

अंडमान सागर के बारे में

- अंडमान सागर, उत्तर-पूर्वी हिंद महासागर में स्थित एक सीमांत सागर है, जिसका ऐतिहासिक व्यापार महत्व और समुद्री मार्गों व क्षेत्रीय जैव विविधता के लिए रणनीतिक मूल्य है।
- यह टेन डिग्री चैनल और सिक्स डिग्री चैनल जैसे प्रमुख मार्गों को नियंत्रित करता है, जो मलकका जलडमरुमध्य के माध्यम से होने वाले वैश्विक व्यापार के 25% के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

स्रोत: PIB

पदार्थ की नई अवस्था: ठोस-तरल संकर/हाइब्रिड

- संदर्भ वैज्ञानिकों ने पदार्थ की एक नई अवस्था की रिपोर्ट की है, जो ठोस-तरल संकर प्रतीत होती है।

परिचय

- यह पदार्थ की एक नई नैनोस्तरीय अवस्था है, जिसमें एक धातु नैनोकण एक साथ ठोस जैसी और तरल जैसी परमाणुगत व्यवहार प्रदर्शित करता है, जिससे ठोस-तरल के स्पष्ट भेद को चुनौती मिलती है।
 - नैनोकण ठोस एवं तरल दोनों के गुण प्रदर्शित करता है, साथ ही ऐसे विशिष्ट व्यवहार भी दिखाता है जो न तो शुद्ध तरल और न ही शुद्ध ठोस अपने आप प्रदर्शित कर सकते हैं।
- टीम ने नैनोकणों का अवलोकन करने के लिए हाई-रेजोल्यूशन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन (HRTE) माइक्रोस्कोपी तकनीक का उपयोग किया।
- निष्कर्ष बताते हैं कि नैनोस्तर पर ठोस और तरल अवस्थाओं की सीमा उतनी स्पष्ट नहीं है जितना वैज्ञानिकों ने पहले माना था।

- सबसे महत्वपूर्ण नवीन गुण यह था कि नैनोकण सामान्य हिमांक से कहीं नीचे के तापमान पर भी तरल अवस्था में बना रहा।
- व्यावहारिक महत्व:** यह व्यवहार विषम उत्प्रेरकों (जैसे प्लॉटिनम-ऑन-कार्बन) में क्रांति ला सकता है, जिससे टिकाऊपन बढ़ेगा क्योंकि यह कणों के गुच्छा बनने और विषाक्त होने से बचाएगा, साथ ही अत्यधिक सक्रिय तरल या अमोर्फ अवस्थाओं को बनाए रखेगा — जो ईंधन सेल, हाइड्रोजन वाहन, औषधि निर्माण, पेट्रोकेमिकल्स एवं प्रदूषण नियंत्रण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

स्रोत: TH

पर्यावरण संरक्षण निधि

- समाचारों में केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण निधि के प्रशासन और उपयोग को नियंत्रित करने वाले व्यापक नियमों को औपचारिक रूप से अधिसूचित किया है।

पर्यावरण संरक्षण निधि के बारे में

- पर्यावरण संरक्षण निधि एक वैधानिक, समर्पित निधि है, जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय उल्लंघनों से प्राप्त मौद्रिक दंड को प्रदूषण नियंत्रण, पुनर्स्थापन, निगरानी, अनुसंधान और क्षमता निर्माण में उपयोग करना है।
- इसका प्रशासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी निकाय द्वारा किया जाता है।
- दंड की आय का 75% संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के समेकित कोष में स्थानांतरित किया जाएगा, जबकि 25% केंद्र द्वारा रखा जाएगा।
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) इस निधि का लेखा परीक्षण करेंगे।

स्रोत: TOI

